न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

25

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 198-दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 7-8-2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 289/2011-12/अपील ।

ठाकुर लोकेन्द्रसिंह पिता नाथूसिंह
निवासी ग्राम जसवाडी तहसील व जिला खण्डवा

.....आवेदकगण

विरूद्ध

शंकरसिंह पिता दरियावसिंह
निवासी ग्राम रनगॉव तहसील व जिला खण्डवा

.....अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-8-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नजूल अधिकारी नवकरण खण्डवा के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक के मालिकी हक एवं स्वामित्व की भूमि प्लाट नम्बर 73/2 कुल क्षेत्रफल 1224 वर्गफुट भूमि एवं उस पर बना मकान में से पैकी भाग 500 वर्गफुट भूमि अनावेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दि. 4-7-1986 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया गया था एवं क्रय दिनांक से ही उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपभोग कर रहा है अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नाम दर्ज किया जाये । नजूल अधिकारी

द्वारा प्रकरण दर्ज कर दि. 20-5-2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । नजूल अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दि.30-3-2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7-8-2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेशकेविरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक स्वयं के द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक तीन भाई है और पैतृक भूखण्ड का बंटवारा होने से आवेदक के बडे भाई को 3000 वर्गफुट का प्लाट तथा दूसरे भाई को 2000 वर्गफुट का प्लाट एवं आवेदक को 1224 वर्गफुट का प्लाट आपसी सहमति से मिला है परन्तु बिक्रीशुदा भूखण्ड प्लाट 500 वर्गफुट का बिक्री एवं नामान्तरण आवेदक के हिस्से में आये हुये भाग में हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की गंभीर भूल करते हुये प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही लगभग 26 वर्ष बाद की गई जो कि संहिता की धारा 109, 110 के प्रावधानों के विपरीत है । नामान्तरण की कार्यवाही की परिसीमा काउपबंध धारा 109 की उपधारा 1 तथा 2 में 6 माह के लिये किया गया है कि कोई व्यक्ति जो भूमि में कोई अधिकार या हित अर्जित करता है और अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किये जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से 6 माह के भीतर लिखित में पटवारी को देगा तब पटवारी ऐसी रिपोर्ट के लिये उपबंधों के अधीन अनावेदक द्वारा नामान्तरण कार्यवाही नहीं की । नामान्तरण की कार्यवाही 26 वर्ष बाद की है जो विधि के विरूद्ध है इसलिये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है और न ही साक्ष्य के रूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना आदेश पारित करने में भूल की गई है । उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अनावेदक को विक्रय की है, जिसे आवेदक द्वारा स्वीकार भी किया गया है। इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक के पक्ष में नामान्तरण किये जाने में आवेदक की आपत्ति अर्थहीन है । आवेदक द्वारा भाईयों के खिलाफ भी सहायता चाही जा रही है व उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया गया है, इसी आधार पर भी यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है । तहसील न्यायालय के नामान्तरण आदेश की पुष्टि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा करने में न्यायसंगत एवं उचित कार्यवाही की गई है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-8-2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर